भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
लखनऊ

लखनऊ स्थित बैंक औषधालयों में दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) 12 महीने की अवधि के लिए अर्थात 01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक "लखनऊ में बैंक औषधालयों को दवाओं और दवाओं की थोक आपूर्ति" के लिए पात्र निविदाकारों से दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध के दौरान अपेक्षित खरीद मूल्य ₹2,60,00,000/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) है।

2. ऑनलाइन निविदा 10 जून, 2026 को अपराह्न 11:00 बजे से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट: www.rbi.org.in और एमएसटीसी ई-पोर्टल https://mstcecommerce.com/eprocn पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। निविदा देने वालों को सेक्शन III में दिए गए निर्देशों के अनुसार, पूरी तरह से भरे हुए आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज़ एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। निविदा देने वालों को निविदा दस्तावेज़ में बताए गए अनुसार, ₹5,20,000 (रुपये पाँच लाख बीस हज़ार मात्र) की ईएमडी के साथ अपनी निविदा प्रस्ताव जमा करना होगा। तकनीकी बोली 29 जून, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। यदि ऊपर बताई गई कोई भी तारीख छुट्टी घोषित हो जाती है, तो यहाँ बताए गए संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस मान्य होगा। केवल उन निविदा देने वालों की वित्तीय बोली के बाद की किसी तारीख को खोली जाएगी, जो अपने भाग 1 दस्तावेज़ों के मूल्यांकन और (यदि ज़रूरी हो तो) उनकी साइट पर जाकर जाँच करने के बाद योग्य पाए जाएँगे; योग्य निविदा देने वालों को इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

3. ई-निविदा की समय-सीमा इस प्रकार है:

ए	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/26-27/ईटी/162
बी	निविदा का नाम	लखनऊ में बैंक औषधालयों को दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदा
सी	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन - भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली (MSTC ई-कॉमर्स के माध्यम से) (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)
डी	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि आरबीआई की वेबसाइट पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	10 जून 2026 (बुधवार)

ई	प्री-बिड मीटिंग की तिथि (ऑफ़लाइन)	जून 16, 2026 (मंगलवार) दोपहर 12:00 बजे
एफ	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	2 मंजिल, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ
जी	निविदा का अनुमानित मूल्य यानी वार्षिक खरीद	₹2,60,00,000/- (वार्षिक) (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)
एच	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (अपेक्षित वार्षिक खरीद का 2%)	₹5,20,000/- (पांच लाख बीस हजार रुपये मात्र) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में जमा किए जाएंगे। खाते का विवरण नीचे दिया गया है: लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0LKPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य) लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ईएमडी में कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसे असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता के मामले में, वैध निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के भुगतान और अनुबंध के निष्पादन के बाद ईएमडी को वापस कर दिया जाएगा।
आई	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	29 जून, 2026 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले
जे	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को स्थानांतरित न करें। एमएसटीसी द्वारा ली जाने वाली फीस को केवल बोलीदाता द्वारा वहन करने की आवश्यकता होती है। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ली गई फीस किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा वापस नहीं की जाएगी।
के	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन उपलब्ध होने की तिथि (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)	जून 10, 2026 (बुधवार) सुबह 11:00 बजे से
एल	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय।	जून 29, 2026, दोपहर 03:00 बजे तक
एम	भाग-I के खुलने की तिथि और समय (तकनीकी बोली)	जून 29, 2026, 04:00 PM

एन	भाग-II (वित्तीय बोली) के खुलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में केवल उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नोट:

1. उपरोक्त दिनों में से किसी भी दिन काम/अवकाश के किसी भी अप्रत्याशित बंद होने की स्थिति में, इसे अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा/आयोजित किया जाएगा।
2. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।
4. किसी भी समस्या/विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

4. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी होगी और उसी के सत्यापन के बाद बोली जमा करनी होगी। बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
लखनऊ

<u>लखनऊ स्थित बैंक औषधालयों में दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदा</u>

<u>विषय-सूची</u>

खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या
खंड I	निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	04
खंड II	निविदा की अनुसूची	05-06
खंड III	ई-टेंडरिंग के लिए निर्देश	07-10
धारा IV	पात्रता मानदंड	11-12
खंड V	काम का दायरा	13-26
खंड VI	प्री-बिड मीटिंग	27
अनुलग्नक I	निविदा का प्रपत्र	28-30
अनुलग्नक II	ई-टेंडरिंग के लिए आवेदन पत्र	31-33
अनुलग्नक III	निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा	34
अनुलग्नक IV	बैंकर/बैंक खाता विवरण का विवरण	35
अनुलग्नक V	पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित दवा आपूर्ति कार्य का विवरण	36
अनुलग्नक VI	निष्पादन के संबंध में बोलीदाता के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा	37
अनुलग्नक VII	प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रारूप	38-39
अनुलग्नक VIII	निष्पादन अनुबंध प्रपत्र	40
अनुलग्नक IX	औषधालयों की सूची	41
अनुलग्नक X	गैर-प्रकटीकरण करार का प्रारूप	42
अनुलग्नक XI	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर घोषणा के लिए प्रारूप	43
अनुलग्नक XII	वित्तीय बोली की घोषणा	44
अनुलग्नक XIII	बैंकर का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	45
अनुलग्नक XIV	भाग II: वित्तीय बोली सावधानी: केवल निविदा के भाग II में प्रस्तुत किया जाना है	46-47

<u>अस्वीकरण</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, लखनऊ ने यह दस्तावेज़ इच्छुक पक्षों को अनुबंध के संबंध में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में यथोचित सावधानी बरती है और उसका मानना है कि यह जानकारी सही है, तथापि न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकारी या एजेंसियां, अथवा उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी, या इसके संबंध में प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी देते हैं और न ही कोई व्यक्त या निहित अभ्यावेदन करते हैं।

2. यह जानकारी पूरी तरह से विस्तृत होने का दावा नहीं करती है। इच्छुक पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्वयं की जाँच-पड़ताल करें, और जवाब देने वालों को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, तथा ई-टेंडर जमा करते समय वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक, या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी, अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनुबंध को आगे न बढ़ाए या अनुबंध के स्वरूप में बदलाव करे; इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन करे; अथवा लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में बदलाव करे। इसके अलावा, रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से मना करने का अधिकार भी उसके पास सुरक्षित है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

4. इस आरएफपी को जारी करने का यह मतलब नहीं है कि बैंक बोली लगाने वाले (बोली लगाने वालों) को चुनने के लिए बाध्य है, या काम सौंपने की गारंटी देता है, या एक साल में काम की कोई न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करता है; और बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी आरएफपी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या आरएफपी को रद्द कर सकता है।

खंड – I

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) 12 महीने की अवधि के लिए अर्थात 01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक "लखनऊ में बैंक औषधालयों को दवाओं और दवाओं की थोक आपूर्ति" के लिए पात्र निविदाकारों से दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध के दौरान अपेक्षित खरीद मूल्य ₹ 2,60,00,000/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) है।

2. ऑनलाइन निविदा 10 जून, 2026 को अपराह्न 11:00 बजे से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट: www.rbi.org.in और एमएसटीसी ई-पोर्टल https://mstcecommerce.com/eprocn पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। निविदा देने वालों को सेक्शन III में दिए गए निर्देशों के अनुसार, पूरी तरह से भरे हुए आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज़ एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। निविदा देने वालों को निविदा दस्तावेज़ में बताए गए अनुसार, ₹5,20,000 (रुपये पाँच लाख बीस हज़ारमात्र) की ईएमडी के साथ अपनी निविदा प्रस्ताव जमा करना होगा। तकनीकी बोली 29 जून, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। यदि ऊपर बताई गई कोई भी तारीख छुट्टी घोषित हो जाती है, तो यहाँ बताए गए संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस मान्य होगा। केवल उन निविदा देने वालों की वित्तीय बोली के बाद की किसी तारीख को खोली जाएगी, जो अपने भाग 1 दस्तावेज़ों के मूल्यांकन और (यदि ज़रूरी हो तो) उनकी साइट पर जाकर जाँच करने के बाद योग्य पाए जाएँगे; योग्य निविदा देने वालों को इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

3. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी होगी और उसी के सत्यापन के बाद बोली जमा करनी होगी। बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

खंड - II

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

A	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/26-27/ईटी/162
	निविदा का नाम	लखनऊ में बैंक औषधालयों को दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदा
सी	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन - भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली (MSTC ई-कॉमर्स के माध्यम से) (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)
डी	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि आरबीआई की वेबसाइट पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	10 जून 2026 (बुधवार)
ई	प्री-बिड मीटिंग की तिथि (ऑफ़लाइन)	जून 16, 2026 (मंगलवार) दोपहर 12:00 बजे
एफ	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	2 मंजिल, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ
जी	निविदा का अनुमानित मूल्य यानी वार्षिक खरीद	₹2,60,00,000/- (वार्षिक) (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)
एच	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (अपेक्षित वार्षिक खरीद का 2%)	₹5,20,000/- (पांच लाख बीस हजार रुपये मात्र) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में जमा किए जाएंगे। खाते का विवरण नीचे दिया गया है: लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0LKPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य) लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ईएमडी में कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसे असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता के मामले में, वैध

		निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के भुगतान और अनुबंध के निष्पादन के बाद ईएमडी को वापस कर दिया जाएगा।
आई	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	29 जून, 2026 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले
जे	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को स्थानांतरित न करें। एमएसटीसी द्वारा ली जाने वाली फीस को केवल बोलीदाता द्वारा वहन करने की आवश्यकता होती है। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ली गई फीस किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा वापस नहीं की जाएगी।
के	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन उपलब्ध होने की तिथि (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)	जून 10, 2026 (बुधवार) सुबह 11:00 बजे से
एल	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय।	जून 29, 2026, दोपहर 03:00 बजे तक
एम	भाग- I के खुलने की तिथि और समय (तकनीकी बोली)	जून 29, 2026, 04:00 PM
एन	भाग- II (वित्तीय बोली) के खुलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में केवल उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नोट:

1. उपरोक्त दिनों में से किसी भी दिन काम/अवकाश के किसी भी अप्रत्याशित बंद होने की स्थिति में, इसे अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा/आयोजित किया जाएगा।

2. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

4. किसी भी समस्या/विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

संपर्क जानकारी (आरबीआई) :-

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें / लिखें – medicallucknow@rbi.org.in, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ - पिन 226010

नाम – श्री जितेंद्र मोरे पदनाम - सहायक महाप्रबंधक भीड़। – 9755516888	नाम – श्री अन्नू कुमार राय पदनाम – सहायक प्रबंधक भीड़। – 8527167626
पता:- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, लखनऊ ई-मेल - medicallucknow@rbi.org.in	

औषधालयों का स्थान: -

क्रम संख्या	औषधालय का नाम	औषधालय का पता
1	कार्यालय औषधालय	मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ
2	कॉलोनी डिस्पेंसरी	आर्यावर्त स्टाफ क्वार्टर, अलीगंज, लखनऊ

खंड – III

ई-निविदा के लिए निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण:

बैंक द्वारा प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को एमएसटीसी वी3 पोर्टल, www.mstcecommerce.com/eprocn पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए वेबसाइट से नवीनतम दिशानिर्देशों की जांच करते रहें। बोलीदाता किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए एमएसटीसी, हेल्पडेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ बोलीदाता का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, बोलीदाता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। बोलीदाता के पास तृतीय श्रेणी का हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोलीदाताओं को इंटरनेट से जुड़ी पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1) बोलीदाताओं को पीएसयू/सरकारी → www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरम पर एमएसटीसी पोर्टल के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। विभागों → आरबीआई लोगो का चयन करें → विवरण भरकर और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर बोलीदाता के रूप में पंजीकरण करें → सबमिट करें।

2) बोलीदाताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।

3) किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, (आरओ का नाम) (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय
फोन संख्या	ईमेल
9727700986	vnsingh@mstcindia.co.in

उत्तर क्षेत्र हेल्पडेस्क	
फोन संख्या	ईमेल
9909080178	vnsingh@mstcindia.co.in
एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क	
फोन संख्या	ईमेल
9727700986	helpdesk@mstcindia.co.in
उपलब्धता: ई-नीलामी, ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।	

संपर्क व्यक्ति (MSTC):

1. तकनीकी सहायता, एमएसटीसी साइट, आईवीआरएस नंबर 07969066600, 9727700986

2.Mr. विजयंत एन सिंह, वरिष्ठ कार्यकारी, 9909080178 (ई-मेल: vnsingh@mstcindia.co.in)

संपर्क जानकारी https://www.mstcindia.co.in/content/contact.aspx से भी डाउनलोड की जा सकती है

बी) सिस्टम आवश्यकता:

एमएसटीसी पोर्टल को चलाने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताएं:

1. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
2. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
3. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
4. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।
5. “Protected Mode” को डिसेबल करने के लिए (Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode पर जाएं - यानी, उस टिक बॉक्स से टिक हटा दें जिस पर “Enable Protected Mode” लिखा है।)
6. "अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें" को एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ जाएँ: (Tools => Internet Options => General => “browsing history/ Delete Browsing History” के नीचे Settings पर क्लिक करें => Temporary Internet Files => “Every time I Visit the Webpage” को एक्टिवेट करें।)
7. सभी Active X Controls को Enable करने और ‘Use Pop-up Blocker’ को Disable करने के लिए, (Tools → Internet Options → Custom Level) पर जाएं। (कृपया www.mstcecommerce.com पेज से IE Settings को एक बार Run करें।)

अधिक जानकारी के लिए, बोलीदाता बोलीदाता गाइड और https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकता है।

सी) लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट:

बोलीदाताओं को बोलीदाता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। बोलीदाताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। बोलीदाता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, बोलीदाता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। बोलीदाता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, बोलीदाता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और बोलीदाता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

एक बोलीदाता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य और गैर-प्रतिपूर्ति योग्य है। बोली के समय बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क वहन करना होगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

नोट (बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें।)

डी) अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ बोलीदाता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।

ई) एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

एफ) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

जी) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय/मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

एच) **ई-टेंडर में बोली:**

1. बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (ओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

2. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

3. जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभाग→ आरबीआई के तहत लॉगिन→ मेरा मेनू→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन) में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

4. बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को सेव/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

5. तकनीकी बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "SAVE" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

6. बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "दस्तावेज़ संलग्न करें" बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

7. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

8. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

9. ई-निविदा पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुली रहेगी।

10. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।

11. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे परिदृश्य में, एमएसटीसी लेनदेन शुल्क या किसी अन्य शुल्क/शुल्क की बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

13. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने वाले गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के लिए पृष्ठ https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ में वीडियो देखें।

आई) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

जे) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

के) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है, बिना कोई कारण बताए।

एल) बोलीदाताओं को किसी भी नवीनतम परिवर्तन और दिशानिर्देशों के लिए एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से जाने की भी सलाह दी जाती है।

खंड-IV

पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) अपने विभिन्न औषधालयों के लिए दवाओं की आपूर्ति हेतु स्टॉक रखने वालों/केमिस्टों/दवा विक्रेताओं (जिन्हें इसके बाद 'आपूर्तिकर्ता' कहा जाएगा) को आमंत्रित करता है।

(ए) बोली लगाने वाले के पास आवेदन की तारीख तक, निर्धारित फ़ॉर्मों (फ़ॉर्म 20, 20-B, 21, 21-B और 21-C या संबंधित कानून के तहत कोई अन्य प्रासंगिक फ़ॉर्म) में, एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए वैध लाइसेंस होने चाहिए। ये लाइसेंस राज्य के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत (जैसा लागू हो) और इस उद्देश्य के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी किए गए होने चाहिए। उनके पास दवाओं के व्यापार/बिक्री को संचालित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी लाइसेंस, मंज़ूरियाँ और अनुमतियाँ भी होनी चाहिए। बोली लगाने वाले यह भी सुनिश्चित करेंगे और वचन देंगे कि उनके लाइसेंस अनुबंध की अवधि समाप्त होने तक वैध बने रहेंगे।

(बी) बोली लगाने वाले को राज्य औषधि प्राधिकारियों द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई मामला लंबित न हो।

(सी) बोलीदाता का पिछले तीन वर्षों के लिए न्यूनतम वाषक कारोबार 1,30,00,000/- रुपये (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र) होना चाहिए (विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है) ।

(डी) बोली लगाने वाले ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक क्लाइंट (जैसे सरकार / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन / कोई अन्य संगठन / कॉर्पोरेट) के साथ इसी तरह की व्यावसायिक व्यवस्था, यानी दवाओं की आपूर्ति का काम किया हो। आवेदन करते समय इसका सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार, किसी एक क्लाइंट से 'क्लाइंट रिपोर्ट' उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(ई) बोलीदाता को उन सभी दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए सहमत होना चाहिए जो बैंक ब्रांड या निर्माताओं के बावजूद मांगता है। दस्तावेज़ में कहीं और वर्णित खरीद अनुबंध के निष्पादन के बाद ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रदर्शन गारंटी का स्वचालित जब्ती/आह्वान होगा। बैंक इसके लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(एफ़) बोली लगाने वाले को सेवा में कमियों के कारण किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन / किसी अन्य संगठन / कॉर्पोरेट (RBI सहित) द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / ब्लैक-लिस्टेड नहीं किया गया होना चाहिए।

(जी) बोलीदाता की दुकान की स्थापना लखनऊ की नगर निगम सीमा के भीतर स्थित होनी चाहिए।

(एच) जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बोलीदाता के पास उपलब्ध होना चाहिए।

(आई) बोलीदाता के पास कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली होनी चाहिए।

(जे) बोलीदाता के पास आरबीआई द्वारा दवा खरीद के दौरान ई-टेंडरिंग में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए।

(के) बोलीदाता को अतीत में गैर-निष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था।

(एल) बोलीदाता के पास बैंक के साथ उचित संचार के लिए अपने प्रतिष्ठान में उचित आईटी बुनियादी ढांचा (जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, समर्पित ई-मेल आदि) होना चाहिए।

(एम) बोलीदाता के पास समय पर दवाओं और दवाओं की आपूर्ति के लिए उचित वितरण और पैकेजिंग प्रणाली/व्यवस्था होनी चाहिए।

खंड –V

कार्य का दायरा

बोलीदाता MSTC पोर्टल के माध्यम से भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले, बैंक सभी बोली लगाने वालों का भाग I - तकनीकी बोली खोलेगा और इस दस्तावेज़ में सूचित किए गए पात्रता मानदंडों की जाँच करने के लिए उसकी समीक्षा करेगा। भाग II - वित्तीय बोली उन सफल और पात्र बोली लगाने वालों के लिए खोला जाएगा, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। बोली लगाने वालों के लिए MSTC पोर्टल पर स्वंय को पंजीकृत करना आवश्यक है। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी ई-निविदा (भाग I और भाग II दोनों, अर्थात तकनीकी और वित्तीय बोली) ई-निविदा से जुड़े निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, हर तरह से पूरा करके, 29 जून, 2026 को अथवा उससे पहले, पूर्वाह्न 03:00 बजे तक जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए, केवल MSTC पोर्टल के ज़रिए जमा की गई निविदाएँ ही स्वीकार की जाएंगी। यदि निविदा (किसी भी माध्यम से) बताई गई तारीख और समय के बाद प्राप्त होते हैं, तो बैंक उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। 200 रुपये के स्टांप पेपर पर वित्तीय बोली की घोषणा (अनुलग्नक X और XII) केवल निविदा के भाग-II में ही जमा की जानी चाहिए।

1. कार्य का दायरा:

(ए) बैंक एक अथवा एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ एक वार्षिक अनुबंध करेगा, जो अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान बैंक डिस्पेंसरी को आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाओं और औषधियों पर सबसे अधिक एकसमान छूट (जिसे यहाँ "एकसमान छूट" कहा गया है) की पेशकश करते हैं। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार एक अथवा एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक को प्राप्त होने वाले किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार भी बैंक सुरक्षित रखता है।

(बी) बैंक सिर्फ़ उसी बोलीदाता के साथ अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं है जो सबसे छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस खंड में बिन्दु संख्या 7 देखें।

(सी) बोली लगाने वाले, बैंक के डिस्पेंसरियों द्वारा जारी किए गए इंडेंट के आधार पर, निर्धारित समय के भीतर और बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थान (अर्थात, आरबीआई कार्यालय/कॉलोनी में स्थित डिस्पेंसरियों में) पर, सहमत छूट दर पर दवाएँ और औषधियाँ उपलब्ध कराएंगे।

(डी) बैंक, डिस्पेंसरियों में स्टॉक करने के लिए दवाओं की आपूर्ति हेतु इंडेंट जारी करेगा। इंडेंट प्राप्त होने पर, बोलीदाता इंडेंट की सूचना प्राप्त होने की तारीख से बैंक के 3 कार्य दिवसों के भीतर आपातकालीन दवाएं सीधे डिस्पेंसरियों को आपूर्ति करेगा।

i. बोलीदाता दवाओं की आपूर्ति ठीक वैसे ही करेगा जैसा कि इंडेंट में बताया गया है। दवा के ब्रांड नाम, कंपनी के नाम, मात्रा आदि में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

ii. यदि दवा बोली लगाने वाले के पास उपलब्ध नहीं है अथवा बोली लगाने वाला दवा की आपूर्ति की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो उसे इंडेंट की तारीख के जल्द से जल्द (अर्थात 1 दिन से अधिक नहीं की अवधि के दौरान) बैंक की डिस्पेंसरी को ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी। बैंक की डिस्पेंसरी को सूचना देते समय, यदि कोई वैकल्पिक दवा उपलब्ध हो, तो बोली लगाने वाला उसका विवरण भी दे सकता है। बोली लगाने वाला वैकल्पिक / स्थानापन्न दवा की आपूर्ति कर सकता है।

iii. इंडेंट के लिए, सामग्री की पूरी आपूर्ति ऊपर निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार की जाएगी।

2. मूल्य निर्धारण

(ए) बैंक के निविदा के प्रतिउत्तर में, बोली लगाने वाले को अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं पर—चाहे उनका ब्रांड अथवा निर्माता कोई भी हो—स्ट्रिप/बोतल/यूनिट पर छपी कीमत पर एक समान छूट (डिस्काउंट) प्रतिशत के रूप में अंकित करनी होगी। बैंक केवल लेबल पर लिखी MRP में से दी गई छूट घटाकर ही भुगतान करेगा। उद्धृत प्रस्ताव अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगा।

(बी) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के तहत लगाए जाने वाले किसी भी शुल्क, लेवी या कर का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

(सी) बोलीदाता को बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर आपूर्ति के संबंध में उचित पैकेजिंग, ढुलाई, परिवहन, डिलीवरी पार्टनर आदि से जुड़े सभी खर्च भी वहन करने होंगे।

(डी) बैंक द्वारा किसी अन्य भुगतान/प्रतिपूर्ति/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

(ए) बैंक के साथ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक वार्षिक अनुबंध में प्रवेश करने पर, बोली लगाने वाले को अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट निविदा मूल्य के 5% के बराबर एक कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में होनी चाहिए तथा 18 महीनों के लिए वैध होनी चाहिए और किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। यदि बैंक कई बोली लगाने वालों के साथ एक से अधिक अनुबंध करता है, तो पीबीजी को वार्षिक अनुबंध के लिए चुने गए बोली लगाने वालों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(बी) PBG पर यदि कोई ब्याज बकाया है, तो उसके संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। PBG, अनुबंध की वैधता समाप्त होने के बाद भी छह महीने तक वैध रहनी चाहिए। यदि इस अनुबंध के अनुसरण में अधिकृत बोलीदाता द्वारा क्रेडिट स्लिप के आधार पर आपूर्ति की गई दवाएँ बाद में चोरी की हुई पाई जाती हैं अथवा वे गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो PBG की राशि जब्त कर ली जाएगी। PBG को निम्नलिखित शर्तों के तहत लागू किया जाएगा:

i. कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में
ii. अनुबंध के दायित्वों का पालन न करने अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने पर अथवा निर्धारित अवधि से बहुत अधिक विलंब से आपूर्ति करने पर अथवा अधिक शुल्क लेने की स्थिति में।
iii. यदि इस अनुबंध के अनुसरण में अधिकृत केमिस्ट को दिए गए सप्लाई ऑर्डर के बदले उनके द्वारा सप्लाई की गई दवाएँ बाद में चोरी की हुई, घटिया, नकली या वैकल्पिक दवाएँ पाई जाती हैं, अथवा वे गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।
iv. प्रस्तावित छूट का पालन न करने पर।
v. बिल में विसंगतियां।
vi. करार की शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर अथवा
vii. कोई भी घटिया, नकली ड्रग अथवा उनके वैकल्पिक दवाएं उपलब्ध कराना।
viii. दवा की आपूर्ति में विलंब।
ix. सर्विस में कोई अन्य कमी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए।

वेंडर द्वारा 30 दिनों का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं की जानी चाहिए।

4. बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(ए) बोलीदाता, मूल्य-बोली में भाग लेते समय, अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट अपेक्षित वार्षिक खरीद की 2% राशि के बराबर 'बयाना जमा राशि' (EMD) जमा करेंगे; यह राशि केवल NEFT के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के बैंक खाते में जमा की जाएगी। NEFT का विवरण नीचे दिया गया है:-

<table>
<tr><td rowspan="4">बयाना जमा राशि (EMD)</td><td colspan="2">(कुल अनुबंध मूल्य का 2% प्रत्येक बोलीदाता द्वारा जमा किया जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में।</td></tr>
<tr><td>लाभार्थी का खाता संख्या:</td><td>186003001</td></tr>
<tr><td>आईएफ़एससी
IFSC:</td><td>RBIS0LKPA01 (Numeric Zero at 5th and 10th place from left)</td></tr>
<tr><td>लाभार्थी का नाम:</td><td>Reserve Bank of India, Lucknow</td></tr>
</table>

(बी) मूल्य-बोली प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, सभी असफल बोलीदाताओं को EMD वापस कर दी जाएगी। EMD पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(सी) यदि कार्य सौंपे जाने के पश्चात, बोली लगाने वाला 7 दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहता है, तो उसकी EMD ज़ब्त कर ली जाएगी, और ऐसे बोली लगाने वाले को दो साल की अवधि के लिए बैंक के किसी भी भविष्य के निविदा में भाग लेने अथवा कोई भी काम करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे बोली लगाने वाले को प्रतिबंधित करने से पहले, बैंक उसे नोटिस देगा और बोली लगाने वाले द्वारा दिए गए किसी भी जवाब पर विचार करेगा।

(डी) सफल बोलीदाता के मामले में, कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रप्त होने के तुरंत बाद बयाना जमा राशि वापस कर दी जाएगी। EMD पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. अनुबंध की अवधि

(ए) यह अनुबंध केवल 12 महीनों (01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक) के लिए ही वैध रहेगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बोलीदाता के साथ अनुबंध की अवधि के दौरान, 30 दिन पहले सूचना देकर, किसी भी समय इस वार्षिक अनुबंध को समाप्त कर सकता है। 30 दिन की सूचना जारी करते समय, बैंक किसी भी कारण को बताने के लिए बाध्य नहीं है।

(बी) बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह मौजूदा वार्षिक अनुबंध की वैधता को, बैंक की आवश्यकता के अनुसार अथवा एक बार में एक वर्ष के लिए, उसी छूट दर पर बढ़ा सके; बशर्ते कि बोली लगाने वालों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो। यदि बैंक द्वारा वैधता बढ़ाई जाती है, तो बोली लगाने वालों को बढ़ी हुई वैधता के साथ संशोधित कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) और एक नया वार्षिक अनुबंध जमा करना होगा। किसी भी स्थिति में, अनुबंध की अवधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

(सी) आपूर्तिकर्ता के संतोषजनक कार्य-निष्पादन तथा बैंक की प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकताओं के अधीन, बैंक द्वारा अनुबंध की अवधि के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

(डी) वार्षिक खरीद अनुबंध के संबंध में, अनुबंध की अंतिम तिथि तक इस अनुबंध के तहत ही आपूर्ति के आदेश दिए जाएँगे। समाप्ति की तिथि पर प्राप्त आदेशों का भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, भले ही दवाओं की आपूर्ति की तिथि तक अनुबंध की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी हो।

(ई) आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की सप्लाई बंद नहीं की जानी चाहिए।

(एफ़) बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आपूर्तिकर्ताओं की सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो वह वार्षिक अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे और आपूर्तिकर्ताओं को दवाओं की आपूर्ति की सूची से हटा दे। हालांकि, ऐसे आपूर्तिकर्ता का अनुबंध समाप्त करने/उसे सूची से हटाने से पहले, बैंक उसे नोटिस देगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए (यदि कोई हो) जवाब पर विचार करेगा।

6. पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज़

आवेदन के साथ, प्री-क्वालिफिकेशन (PQ) मानदंडों के हिस्से के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ MSTC पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

ए) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित, निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार), बोलीदाता के लेटरहेड पर।

बी) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार), बोलीदाता के लेटरहेड पर।

सी) बोली लगाने वाले के बैंक से, अनुलग्नक-XIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार, शोधन-क्षमता का बैंकर प्रमाण-पत्र।

डी) बोली लगाने वाले को अनुलग्नक-IV के अनुसार, अपने बैंकर का विवरण और बैंक खाते की जानकारी, साथ ही उस खाते का एक निरस्त चेक जमा करना होगा।

ई) ग्राहक सूची, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए काम का विवरण और 07 अप्रैल, 2020 से पहले प्राप्त कम से कम एक समान वर्क ऑर्डर का विवरण शामिल हो; यह विवरण अनुलग्नक-V के अनुसार और वर्क ऑर्डर की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि ऊपर दिए गए खंड- III (बी) के पैरा (बी) में निर्दिष्ट कार्य अनुभव को प्रमाणित किया जा सके।

एफ़) अनुलग्नक-VI के अनुसार, उपरोक्त खंड III (बी) के पैरा (सी) में निर्दिष्ट ग्राहक से, प्रत्येक योग्य कार्य के लिए ग्राहक रिपोर्ट/प्रमाण पत्र।

जी) निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रतियां:

i. कंपनी/साझेदारी/एकल स्वामित्व का पंजीकरण।

ii. आवेदन की तिथि तक केमिस्ट के पास उपलब्ध वैध लाइसेंस।

iii. वैध GST पंजीकरण प्रमाण पत्र।

iv. केमिस्ट को आवंटित वैध PAN कार्ड।

एच) दुकान का पंजीकरण प्रमाण पत्र। लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत दुकान की स्थापना का दस्तावेज़ी प्रमाण।

आई) MSME प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि MSME अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

जे) EMD जमा करने का प्रमाण। भुगतान का प्रमाण, जिसमें ट्रांज़ैक्शन नंबर भी शामिल हो (स्कैन की हुई कॉपी), भाग-I के दस्तावेज़ों में अपलोड किया जाना है।

के) स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर से नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी कि केमिस्ट/फर्म को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उसके तहत बने नियमों के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और फर्म/केमिस्ट के

खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उसके तहत बने नियमों के साथ-साथ ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 1995 या ड्रग (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर 2013 या समय-समय पर जारी किए गए दूसरे आदेशों के तहत कोई मामला पेंडिंग नहीं है।

एल) पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (2025-26, 2024-25 और 2023-24) की ऑडिट की हुई बैलेंस शीट की प्रतियां, और संबंधित असेसमेंट वर्षों के लिए IT रिटर्न, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक प्रमाण पत्र जिसमें इन वित्तीय वर्षों (2025-26, 2024-25 और 2023-24) के वार्षिक टर्नओवर की पुष्टि की गई हो, जमा किया जाना अपेक्षित है।

ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों के अतिरिक्त, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आवश्यक हो, तो वह किसी भी समय अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग कर सकता है।

7. वार्षिक कार्य/अनुबंध प्रदान करना

बोली लगाने वालों को MRP पर अपनी ओर से दी जाने वाली एक समान छूट प्रतिशत के रूप में जमा करनी होगी। उदाहरण: यदि कोई बोली लगाने वाला 25% की छूट देना चाहता है, तो उसे निर्धारित फ़ील्ड में केवल '25' ही लिखना होगा।

i) यदि एक से अधिक H1 (जो MRP पर सबसे अधिक एकसमान छूट की पेशकश करते हैं) बोलीदाता होते हैं, तो संपूर्ण कार्य H1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

ii) अन्यथा, पूरा काम H1, H2, H3 और H4 बोली लगाने वालों के बीच बराबर-बराबर बाँट दिया जाएगा; बशर्ते H2, H3 और H4 बोली लगाने वाले उन दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हों, जो कि H1 बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत कि गई हों और जिन्हें स्वीकार किया गया हो। इससे H1 बोली लगाने वाले की काम करने की क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, और इसका मकसद सिर्फ़ एक ही आपूर्तिकर्ता पर पूरी तरह निर्भर रहने की स्थिति को कम करना है।

iii) यदि H2, H3, H4 आदि H1 द्वारा प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो संपूर्ण कार्य H1 बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।

iv) वेंडर, बैंक के BMCs द्वारा समय-समय पर जारी किए गए इंडेंट्स के आधार पर, सहमत छूट पर, निर्धारित समय के भीतर और निर्दिष्ट स्थान पर दवाएँ उपलब्ध कारवानी होंगी।

v) बैंक अपनी खरीद को दो अथवा अधिक वेंडरों/बोलीदाताओं के बीच विभाजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

vi) बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, उसे प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, अथवा किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है।

vii) सफल बोली लगाने वाले, अनुलग्नक VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार, बैंक के साथ एक वार्षिक अनुबंध करार करेंगे। यह अनुबंध 01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक की अवधि के लिए वैध रहेगा, और वेंडर/बोली लगाने वाले द्वारा दी गई एकसमान छूट इस पूरी अवधि के लिए स्थिर और वैध रहेगी।

viii) सभी वेंडर कृपया ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज़ के संबंध में, भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना, ऊपर दी गई आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी (MSTC) की वेबसाइट पर दी जाएगी, और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

8. किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार

(ए) निर्धारित तिथि और समय के पश्चात प्राप्त आवेदन अथवा किसी भी दृष्टि से अपूर्ण आवेदन, अस्वीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

(बी) बैंक के पास किसी भी या सभी आवेदनों को, बिना कोई कारण बताए, पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(सी) बैंक को यह अधिकार है कि वह बैंक के हित में, जैसा उसे उचित लगे, इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी शर्त को अपने विवेक से संशोधित या परिवर्तित कर सकता है।

(डी) बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

9. स्वीकृति की अधिसूचना:

बैंक आवेदन की स्वीकृति की सूचना पत्र/ई-मेल के माध्यम से देगा।

10. सामान की डिलीवरी:

ए) बैंक के लाभार्थियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए, वेंडर को हर समय मानक गुणवत्ता वाली दवाओं का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करना होगा।

बी) यदि वेंडर, संबंधित खरीद आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर खरीदार/लाभार्थियों को दवाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहता है अथवा मना कर देता है, तो यह अनुबंध वेंडर के जोखिम और खर्च पर समाप्त/निरस्त किया जा सकता है। किसी वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की व्यवस्था करने में आने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च/व्यय वेंडर से वसूल किया जाएगा।

सी) वेंडर संबंधित डिस्पेंसरियों को दवाएँ/औषधियाँ की आपूर्ति करते समय, इंडेंट में बैच नंबर, निर्माता का नाम और समाप्ति तिथि अंकित करेगा।

डी) आपूर्ति की जाने वाली दवाएँ/औषधियाँ मानक गुणवत्ता की होंगी, अर्थात वे अनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा उल्लिखित और सहमत विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की Expiry Date समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, अथवा वह मानक गुणवत्ता की नहीं है, घटिया है या नकली है, तो वेंडर (नियुक्त अधिकृत वेंडर) की फर्म को, उसके विरुद्ध शुरू की जा सकने वाली अन्य कानूनी कार्रवाइयों के अतिरिक्त, 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि वेंडर माँगी गई दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो बैंक किसी अन्य वेंडर से उन दवाओं को खरीदने का हकदार होगा, और विक्रेता बैंक द्वारा भुगतान की गई पूरी

कीमत की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, वेंडर को उन दवाओं के लिए उस राशि का दावा करने की अनुमति होगी, जो दोनों पक्षों के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार उसे देय होती।

ई) लाभार्थियों के लिए मंगवाई गई दवाएँ, निर्धारित वेंडर द्वारा अलग-अलग पैकेटों में आपूर्ति की जाएँगी।

एफ़) हर दवा की अपनी एक शेल्फ-लाइफ (उपयोग-अवधि) होती है, जो दवा के लेबल पर अंकित होती है। आपूर्ति के समय, सप्लाई की जा रही दवाओं की शेल्फ-लाइफ का आधा से ज़्यादा समय बीता हुआ नहीं होना चाहिए।

जी) यदि किसी विशिष्ट ब्रांड की दवाओं के लिए इंडेंट किया जाता है, तो उस ब्रांड को बदला नहीं जाएगा। अन्य मामलों में, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन के 'शेड्यूल M' विनिर्देशों के अनुरूप दवाओं की ही आपूर्ति की जाएंगी।

एच) सामग्री की आपूर्ति निर्माता की मूल पैकिंग में की जानी चाहिए। पैकिंग किसी विशेष दवा/औषधि की मांगी गई कुल मात्रा के लगभग निकटतम होनी चाहिए।

आई) बोली लगाने वाले को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं की जानी चाहिए।

11. बिलों का प्रस्तुतीकरण

(i) बिलों में दैनिक आधार पर की गई सप्लाई का विवरण साफ़-साफ़ दिया हुआ होना चाहिए, जैसे कि आइटम का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण की तिथि और एक्सपायरी की तारीख, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप नंबर और तारीख, रेट, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार छूट आदि, और बैंक द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी।

(ii) बिल के साथ मूल खरीद आदेश और बैंक के प्राअधिकृत अधिकारी का एक प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए, जिस पर अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख और कार्यालय की मुहर लगी हो; यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि मांगी गई वस्तुएँ प्राप्त हो गई हैं।

12. भुगतान:

(ए) महीने के दौरान प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान, सामान्यतः अगले महीने की 20 तारीख तक कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी कारणवश भुगतान में विलंब होता है, तो आपूर्तिकर्ता बैंक से ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा।

(बी) भुगतान अनिवार्यतः NEFT के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को बैंक/शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का नाम आदि आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने होंगे।

(सी) भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू होने वाले कर की कटौती स्रोत पर ही की जाएगी, और इसके लिए सेवा प्रदाता को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

13. भ्रष्ट, कपटपूर्ण अथवा अनैतिक आचरण

बैंक की यह अपेक्षा है कि दवाओं की आपूर्ति के अनुबंध की खरीद और निष्पादन के दौरान आपूर्तिकर्ता नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करे। आपूर्ति की जाने वाली दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अनुसार, शर्तें निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित की गई हैं:

ए. आपूर्तिकर्ता, इस प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन में, बैंक के किसी भी अधिकारी के कार्यों को प्रभावित करने के लिए, किसी भी मूल्यवान वस्तु को देने, लेने, प्राप्त करने या उसकी मांग करने का सहारा नहीं लेगा।

बी. आपूर्तिकर्ता, बैंक के हितों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से, किसी अनुबंध की प्रक्रिया या उसके निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा।

सी. यदि किसी भी समय बैंक को यह पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध को पूरा करने में भ्रष्ट और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में लिप्त रहा है तो बैंक किसी आपूर्तिकर्ता को अनुबंध देने के लिए, या तो अनिश्चित काल के लिए अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

डी. बैंक, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने पूर्ण विवेक से, निम्नलिखित में से किसी भी कारण से, किसी भी आपूर्तिकर्ता के संबंध में अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर समाप्त कर सकता है:

i. यदि केमिस्ट अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि (अवधियों) के भीतर कोई भी अथवा सभी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है,

ii. घटिया/नकली/वैकल्पिक दवाओं की आपूर्ति,

iii. दवाओं की आपूर्ति में विलंब / आपूर्ति से इनकार / दवाओं की आपूर्ति न होना,

iv. बिल में अधिक चार्ज लगाना,

v. यदि यह पाया जाता है कि किसी दवा की Expiry Date खत्म हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है।

vi. यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।

vii. बैंक के निर्णय में, उसने भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण आचरण किया है।

viii. यदि आपूर्तिकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा, और इस समाप्ति के लिए वेंडर के प्रति कोई दायित्व अथवा उसको कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

ई. यदि ऊपर (डी) में बताए गए ऐसे किसी मामले का पता, भुगतान के पश्चात अथवा उससे पहले की गई बाद की जांच के दौरान चलता है, तो आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा पहले भुगतान की गई विवादित/अतिरिक्त राशि वापस करेगा और संबंधित दवाइयों को बदल कर देगा। बैंक बकाया भुगतान रोक सकता है अथवा आपूर्तिकर्ता को देय राशि में से ऐसी आपूर्तियों की लागत वसूल कर सकता है।

एफ़. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता से इंडेंट या क्रेडिट स्लिप के माध्यम से बैंक द्वारा मंगाई जा रही किसी भी दवा/दवाओं की ड्रग टेस्ट रिपोर्ट मांग सकता है। यदि बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रयोगशाला अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से ही उक्त ड्रग टेस्ट करवाएं।

14. सर्वोत्तम मूल्यों की प्रयोज्यता

यदि वह आपूर्तिकर्ता, जिसके साथ बैंक ने सालाना खरीद का अनुबंध किया है, रेट कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था को बैंक के अनुबंध जैसी ही बिक्री की शर्तों पर ज़्यादा डिस्काउंट देता है अथवा दवाएँ बेचता है या बेचने का प्रस्ताव भी देता है, तो बैंक पर लागू होने वाली डिस्काउंट दर उस तारीख से अनुबंध के तहत होने वाली सभी अगली सप्लाई के लिए अपने-आप बढ़ जाएगी, और अनुबंध में उसी के अनुसार संशोधन किया जाएगा। अन्य समानांतर अनुबंध धारकों (यदि कोई हों) को भी अपनी कीमतें कम करने का अवसर दिया जाएगा; इसके लिए उन्हें कम की गई कीमत के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी संशोधित कीमतें बताने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा (यदि वे ऐसा चाहें)। ये कीमतें एक सीलबंद लिफाफे में भेजी जाएंगी, जिसे निर्धारित तिथि और समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जाएगा, और आगे की कार्रवाई मानक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। आपूर्तिकर्ता को निर्धारित शर्तों के अनुसार, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को बदलना भी होगा, और बैंक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच होने वाले करार के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

15. क्षतिपूर्ति

(ए) आपूर्तिकर्ता, बैंक को उन सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों और मांगों से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा, जो इस अनुबंध के कार्य को पूरा करने या उससे जुड़े किसी भी काम के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए अथवा करने का वादा किए गए काम के संबंध में बैंक के खिलाफ लाए गए हों; साथ ही, इस दस्तावेज़ अथवा अनुबंध में बताई गई शर्तों का पालन न करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति की भी भरपाई करेगा; और इसके अलावा, इस अनुबंध को पूरा करने के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए अथवा करने का वादा किए गए किसी भी काम के लिए आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध लाए गए किसी भी मुकदमे अथवा कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति की भी भरपाई करेगा।

(बी) आपूर्तिकर्ता भारत में प्रचलित कार्य सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और दुर्घटनाओं अथवा जान-माल के नुकसान से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों अथवा सभी जिम्मेदारियों से बैंक को मुक्त रखेगा; इन दुर्घटनाओं अथवा नुकसान का कारण आपूर्तिकर्ता की लापरवाही ही मानी जाएगी। आपूर्तिकर्ता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले सभी हर्जाने का भुगतान बैंक पर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले करेगा, और बैंक को इसके लिए जिम्मेदार अथवा बाध्य नहीं ठहराया जाएगा।

(सी) यदि आपूर्तिकर्ता का कोई भी कर्मचारी, जिसे इस काम के लिए तैनात किया गया है, किसी भी तरह के विवाद में शामिल हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने अथवा उसका मुक़दमा लड़ने की मुख्य ज़िम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। यदि बैंक को इस मामले में एक पक्ष बनाया जाता है और उसे मुक़दमा लड़ना पड़ता है, तो बैंक को वकील की फ़ीस और अन्य खर्चों के रूप में हुई वास्तविक लागत की भरपाई की जाएगी; यह राशि आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक की माँग पर उसे अग्रिम रूप से (पहले ही) अदा कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक पर किसी भी तरह की कोई वित्तीय या अन्य देनदारी न आए, और वह इस मामले में बैंक को किसी भी नुकसान से क्षतिपूरित रखना होगा।

16. विवर्जित/ अयोग्य घोषित करना

यदि आपूर्तिकर्ता करार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक के पास आपूर्तिकर्ता को किसी भी पैनल में भाग लेने अथवा तीन साल की अवधि के लिए बैंक को दवाओं की आपूर्ति करने से विवर्जित/अयोग्य ठहराने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक केमिस्ट को कारण बताओ नोटिस दे सकता है और इस तरह के नोटिस के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी प्रभाव का होगा।

17. मध्यस्थता

यह अनुबंध आपसी भरोसे और विश्वास पर आधारित है। दोनों पार्टियां असाइनमेंट को अच्छी नीयत से पूरा करने के लिए सहमत हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में या उससे होने वाले किसी भी तरह के विवाद या मतभेद (जिसका फैसला यहां अन्यथा नहीं बताया गया है) बैंक और आपूर्तिकर्ता के बीच होता है, चाहे अनुबंध के समय के दौरान अथवा पूरा होने के दौरान और चाहे अनुबंध समाप्त होने, छोड़ने अथवा तोड़ने से पहले अथवा बाद में, तो इसे बैंक के एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा और बैंक द्वारा ही सुलझाया जाएगा, जो आपूर्तिकर्ता को अपने फैसले के बारे में लिखकर सूचित करेगा। बैंक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. विधिक वाद

इस करार/अनुबंध से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले सभी विधिक वादों, कार्रवाइयों अथवा कार्यवाहियां केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

19. गैर-प्रकटीकरण खंड

आपूर्तिकर्ता, इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान, बैंकों की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण, बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि को, जो उसके अधिकार अथवा जानकारी में आ सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष के सामने प्रकट नहीं करेगा; और वह हर समय इन सभी को अत्यंत गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखेगा। आपूर्तिकर्ता दायित्वों को पूरा करते हुए लागू कानूनों का पालन करने की आवश्यकता के अतिरिक्त संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। आपूर्तिकर्ता कार्य का कोई भी विवरण बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर में प्रकाशित नहीं करेगा / प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा। आपूर्तिकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आपूर्तिकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने करने पर इसे आपूर्तिकर्ता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को नुकसान का दावा करने और कानूनी मदद लेने का अधिकार होगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों/एजेंटों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुबंध के तहत गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने की बाध्यता का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

(ए) आपूर्तिकर्ता, "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को उक्त अधिनियम के तहत गठित उचित समिति को भेजा जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, एजेंटों अथवा आपूर्तिक करने वालों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

(बी) आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत, बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

(सी) आपूर्तिकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसका भुगतान उस स्थिति में करना पड़ सकता है जब घटना में आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी, एजेंट अथवा आपूर्ति करने वाले लोग शामिल हों; उदाहरण के लिए, बैंक के किसी कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत देना, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा किए जाने का आरोप सिद्ध हो जाता है।

(डी) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, एजेंटों या सप्लाई करने वालों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे जुड़े मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

(ई) आपूर्तिकर्ता अपने उन कर्मचारियों, एजेंटों अथवा आपूर्ति करने वालों की पूर्ण और अद्यतन सूची प्रस्तुत करेगा, जिन्हें इस अनुबंध के संबंध में बैंक के परिसर में पदस्थापित किया गया है।

21. श्रम कानूनों का सांविधिक अनुपालन: बोलीदाता अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; पेमेंट ऑफ़ वेजेस एक्ट, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों के रोजगार अधिनियम 1938; मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और/अथवा कोई दूसरे नियम/रेगुलेशन और/अथवा कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं के के आवश्यक सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगा तथा ऊपर बताए गए विधिक कानूनों या किसी अन्य कानूनी प्रावधान के उल्लंघन के लिए बोली लगाने वाला ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा, और वह भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का पालन न करने से होने वाली किसी भी चूक, गलती, उल्लंघन और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चूक और खर्च से सुरक्षित रखेगा। अगर बोली लगाने वाला इस दस्तावेज़ के तहत, और/या ऊपर बताए गए कानूनों, नियमों/विनियमों, या उनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च की भरपाई बोली लगाने वाले के मासिक भुगतान से कर ले, जो उसे ऐसे दावों, मांगों, नुकसान या चोट की वजह से उठाना पड़ सकता है।

अधिकृत केमिस्ट, बैंक से प्राप्त किसी भी ऑर्डर/खरीद ऑर्डर की सब-कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करेगा।

22. बोलीदाता का दिवालियापन अथवा मृत्यु

यदि बोली लगाने वाले को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अथवा वह स्वेच्छा से परिसमापन में चला जाता है अथवा उसके विरुद्ध 'दिवालियापन अधिनियम' के तहत कोई आदेश अथवा अन्य निर्देश जारी किया जाता है (चाहे वह किसी कंपनी के नाम पर हो), या यदि कंपनी को बंद करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या कोई आदेश जारी किया जाता है (चाहे वह स्वेच्छा से हो या किसी अन्य प्रकार से), अथवा यदि वेंडर यहाँ निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के इस अनुबंध को समाप्त कर दे। वेंडर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को बैंक की लिखित सहमति के बिना, वेंडर के कर्तव्यों अथवा इस अनुबंध के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि वेंडर, ऊपर बताई गई सहमति के साथ, अपना कारोबार किसी और को सौंप देता है, और यदि वेंडर कोई कंपनी है और इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, अपना कारोबार किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को सौंपने के उद्देश्य से, उसे बंद कर दिया जाता है, तो वेंडर इस संपत्ति और कारोबार को सौंपने के अनुबंध की शर्तों और नियमों में यह बात भी शामिल करेगा कि वह अन्य व्यक्ति या कंपनी, इस अनुबंध के तहत वेंडर के कर्तव्यों अथवा दायित्वों को निभाना जारी रखेगा और इस अनुबंध के तहत वेंडर की देनदारियों को भी स्वीकार करेगा। मृत्यु का प्रमाण और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएँगे। इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई एकल स्वामित्व वाली संस्था (sole proprietorship concern) है और उसके वेंडर की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह कानूनी वारिसों को बिना किसी मुआवज़े के अनुबंध समाप्त कर दे; और इसे अनुबंध का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

23. बीमा

सफल बोलीदाता/ओं को अनुबंध मूल्य के लिए एक वर्ष के लिए “संपूर्ण जोखिम पॉलिसी" लेनी होगी, जिसे बैंक द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने पर उसके बाद नवीनीकृत किया जा सकेगा; ऐसा न करने पर, सफल बोलीदाता या उसके कर्मचारियों, एजेंटों, असाइनियों आदि के कारण किसी भी कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी/लाभार्थी के जीवन, व्यक्ति, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, या किसी भी संबंधित तीसरे पक्ष को, और/या बैंक अथवा उसके कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/लाभार्थियों की संपत्ति को, व्यवसाय के दौरान होने वाली कोई भी क्षति होने पर बैंक को होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने की समस्त दायित्व सफल बोलीदाता की होगी। ऐसी पॉलिसी प्राप्त करने में विफल रहने पर, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह नुकसान के मौद्रिक मूल्य की वसूली सफल बोलीदाता से करे (बोलीदाता के बकाया बिलों से कटौती योग्य, परंतु उस तक सीमित नहीं)।

24. अपरिहार्य घटना

इस दस्तावेज़ में कही गई किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में हुई किसी भी देरी के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण न हुई हो (जिसमें बिना किसी सीमा के, किसी सांविधिक प्राधिकरण, दैवीय घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा सामाजिक अशांति, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण हुई कोई भी देरी शामिल है); बशर्ते कि, यदि किसी पक्ष द्वारा अथवा उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई विलंब किया जाता है, तो भी वह पक्ष विलंब के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति में जब ऐसा विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर हो।

25. अस्वीकरण

(ए) बैंक इस दस्तावेज़ को, जिसमें सभी फ़ॉर्मेट और अनुलग्नक शामिल हैं, संशोधित करने, उसमें संशोधन करने या उसे पूरक बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी) हालांकि यह दस्तावेज़ पूरी सावधानी से तैयार किया गया है, फिर भी न तो बैंक और न ही उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार इसमें दिए गए किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में, कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व या वारंटी देते हैं, और न ही किसी भी प्रकार की कोई ज़िम्मेदारी अथवा दायित्व स्वीकार करते हैं; और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के तहत उन पर कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही उनकी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि अथवा क्षति हुई हो।

26. इस अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक समस्त व्यय केवल वेंडरों/पूर्तिकर्ताओं द्वारा ही वहन किए जाएँगे।

>>

खंड – VI

बोली-पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक का विवरण निम्नवत है: -

1	नोटिस की तिथि	10 जून 2026
2	बोली-पूर्व बैठक की तिथि	16 जून 2026
3	बोली-पूर्व बैठक का समय	दोपहर 12:00 बजे
4	बैठक का माध्यम	आरबीआई परिसर में ऑफ़लाइन
5	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	द्वितीय तल, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ
6	पूरा पता	भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, पिन – 226010
7	प्रवेश पास	प्रवेश पास की व्यवस्था के लिए, कृपया अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर 14 जून 2026 को अथवा उससे पहले medicallucknow@rbi.org.in पर ई-मेल करें।

अनुलग्नक – I

निविदा फॉर्म

स्थान :

दिनांक:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
चिकित्सा डेस्क
लखनऊ

महोदय,

निम्नलिखित ज्ञापन में बताए गए काम के लिए, निविदा दस्तावेज़ में शामिल निविदा आमंत्रण सूचना, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों, निविदा देने वालों के लिए निर्देशों और अन्य सभी सामग्री को पढ़ने और जांचने के बाद, और निविदा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम इसके द्वारा प्रस्ताव देते हैं कि हम उक्त ज्ञापन में बताए गए लाभार्थियों को, उसी ज्ञापन में तय समय सीमा के भीतर, भाग II में शामिल 'कीमत बोली' में बताई गई छूट पर दवाएँ उपलब्ध कराएँगे; और अन्य सभी मामलों में, जहाँ तक वे लागू हों, हम उन शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे।

ज्ञापन

एनआईटी संख्या / ई-निविदा संख्या	**RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/1/26-27/ET/162**
कार्य का नाम:	**लखनऊ स्थित बैंक औषधालयों को दवाएँ और गैर-चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-निविदा**
कार्य की अनुमानित लागत	₹2,60,00,000/- (दो करोड़ साठ लाख रुपए मात्र)
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹5,20,000/- (पाँच लाख बीस हज़ार रुपए मात्र)
निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	**₹13,00,000/- (तेरह लाख रुपए मात्र)**

2. हम टेंडर को उसकी वैधता अवधि (01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक) के लिए खुला रखने पर सहमत हैं, और इस वैधता अवधि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई किसी भी अन्य अवधि के दौरान इसकी शर्तों और नियमों में कोई भी संशोधन नहीं करेंगे।

3. निविदा दस्तावेज़ के खंड III (ए) के पैरा 3 में बयाना राशि के रूप में उल्लिखित ₹5,20,000/- (पाँच लाख बीस हज़ार रुपए मात्र) की राशि, यहाँ निर्दिष्ट प्रारूप में भेजी/अपलोड की जा रही है। यदि मैं/हम, खंड III (ए) के पैरा 4 में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर, निर्धारित निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम सात (07) दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त निष्पादन बैंक गारंटी को पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त निष्पादन बैंक गारंटी, निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी कार्यों को, उसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की गारंटी होगी।

4. इसके अतिरिक्त, मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि अर्नेस्ट मनी या निष्पादन बैंक गारंटी ज़ब्त कर ली जाती है, तो मुझे/हमें इस कार्य की दोबारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

5. मैं/हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से 'बैक-टू-बैक' आधार पर निष्पादित नहीं करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रकार का कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक में निविदा प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि कार्य प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व इस प्रकार का कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो नियोक्ता बयाना राशि जमा /निष्पादन बैंक गारंटी की संपूर्ण राशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज़ और कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गोपनीय दस्तावेज़ों के रूप में मानेंगे, और उनसे प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे जिसे यह जानकारी देने के लिए मैं/हम अधिकृत हैं, और न ही इस जानकारी का उपयोग किसी ऐसे तरीके से करेंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं कि हम इसके साथ संलग्न 'अनुबंध की शर्तों' के नियमों और प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, जहाँ तक वे लागू हों; अथवा ऐसा न कर पाने की स्थिति में, हम भारतीय रिज़र्व बैंक को उन शर्तों में उल्लिखित राशि ज़ब्त होने देंगे और उसका भुगतान करेंगे।

8. हमारे बैंकर हैं (नाम और पूरा पता)–

हमारी फर्म के साझेदारों के नाम हैं:

फर्म के उस साझेदार का नाम जो हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है:

भवदीय,

मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते –

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

अनुलग्नक – II

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
लखनऊ

लखनऊ स्थित बैंक औषधालयों को दवाएँ और गैर-चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

क्र. सं.	मद	विवरण
1	आपूर्तिकर्ता का नाम	
2	संघटन (कंपनी / साझेदारी / एकल स्वामित्व)	
3	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी; पंजीकरण संख्या और दिनांक)	
4	व्यवसाय शुरू करने का वर्ष	
5	जीएसटी सं.	
6	पैन नंबर	
7	क्या यह निर्माता/अधिकृत वितरक/डीलर/एजेंसी है	
8	बैंक के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए अधिकृत प्रोप्राइटर/साझेदार/निदेशक/पदाधिकारी का नाम/नाम और पदनाम	
9	टेलीफ़ोन नंबर: मोबाइल नंबर: ई-मेल	
10	पता	
11	क्या आपूर्तिकर्ता के पास आवेदन की तिथि पर, 'ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940' के प्रावधानों के तहत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी, एलोपैथिक औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वैध लाइसेंस मौजूद हैं? कृपया इन लाइसेंसों का विवरण प्रदान करें।	

12	क्या आपूर्तिकर्ता को राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है?		
13	क्या सप्लायर के पास जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध है?		
14	क्या बिलिंग सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड है?		
15	सर्वोत्तम मूल्य मानदंड पर करार (पैरा 14 देखें) (हाँ/नहीं)		
16	दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र / कॉर्पोरेट ग्राहकों के नाम। साथ ही, संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफ़ोन नंबर भी दें।		
17	मुख्य बैंकर का नाम और पता कृपया टेलीफ़ोन नंबर भी प्रदान करें।		
18	वित्तीय वर्ष का वार्षिक व्यापारावर्त:	2023-24	
		2024-25	
		2025-26	
19	क्या आपूर्तिकर्ता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम Rs. 1,30,00,000/- (रु एक करोड़ तीस लाख मात्र) का पण्यावर्त है? (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के तुलन-पत्र की प्रति, चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित/ आईटीआर/ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित पण्यावर्त प्रमाण-पत्र)		
20	क्या ग्राहक रिपोर्ट / प्रमाण पत्र जमा किया गया है (हाँ / नहीं) अनुबंध III		
21	क्या बैंकर का प्रमाण पत्र जमा किया गया है (हाँ / नहीं) अनुबंध IV		
22	क्या सार्वजनिक संस्थान(संस्थानों) द्वारा निष्कासन की घोषणा प्रस्तुत की गई है? (हाँ / नहीं) अनुबंध V		
23	क्या सप्लायर ओटीपी/डिलीवरी कोड आधारित डिलीवरी प्रदान कर सकता है? (हाँ/नहीं)		
24	आपूर्तिकर्ता के आउटलेट/दुकानों की संख्या (सभी आउटलेट/दुकानों के पते अलग से दिए जा सकते हैं)		

मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई उस सूचना को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें दवाओं और औषधियों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड तथा नियम और शर्तें दी गई हैं। मैं इन नियमों और शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बैंक के पास किसी भी आवेदन को स्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
दिनांक:
मुहर:

अनुलग्नक – III

कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(इसे अलग से भरा और प्रिंट किया जा सकता है)

ग्राहक का नाम और पता:

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण ....

(आपूर्तिकर्ता का नाम)

1. कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण:

2. करार संख्या और दिनांक:

3. करार की राशि (अनुमानित राशि भी स्वीकार्य है):

4. निष्पादन न करने या शर्तों का पालन न करने पर लगाए गए दंडों का विवरण (राशि बताएं), यदि कोई हो:

5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी , जिसके अधीन आपूर्ति निष्पादित की गई है:

6. आपूर्तिकर्ता की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ:

a) तकनीकी दक्षता
b) वित्तीय सुदृढ़ता
c) समय-सीमा का पालन
d) कार्य की गुणवत्ता

e) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम है।

“प्रतिहस्ताक्षरित”

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर और दिनांक सहित
नाम और पदनाम:
संपर्क संख्या:

अनुलग्नक – IV

बैंकर/बैंक खाते का विवरण

बैंकर का विवरण

1.	बैंक का नाम	:
2.	बैंक का पता	:
3.	शाखा का नाम	:
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	:
5.	मोबाइल नंबर (अनिवार्य) और फ़ैक्स नंबर	:
6.	संपर्क व्यक्ति की आधिकारिक ईमेल आईडी (सामान्य आधिकारिक ईमेल आईडी स्वीकार्य नहीं है)	:

बैंक खाते का विवरण

1.	खाते का नाम	:
2.	खाता संख्या	:
3.	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	:
4.	पैन	:
5.	आईएफ़एस कोड	:
6.	जीएसटी नंबर	:

नोट: खाते के निरस्त चेक की एक प्रति संलग्न करें।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)
दिनांक:

कार्य अनुभव

पिछले पाँच (05) वर्षों के दौरान किए गए दवा आपूर्ति कार्य का विवरण

क्र. सं.	फर्म/ग्राहक का नाम और पता	निष्पादित किए गए कार्य का मूल्य	क्या काम समय पर पूरा हुआ है या नहीं (हाँ/नहीं)	कार्य की आरंभ तिथि और पूर्णता तिथि	देरी के कारण, यदि कोई हों	कार्य आदेश के अनुसार पूर्णता अवधि	फर्म का टेलीफ़ोन / फ़ैक्स नंबर और संपर्क व्यक्ति

(यदि आवश्यक हो, तो शीट संलग्न करें।)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

दिनांक:

अनुलग्नक – VI

निष्पादन के संबंध में बोलीदाता के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(इसे अलग से भरा और प्रिंट किया जा सकता है।)

1.	बोली लगाने वाले का नाम और पता	:
2.	बोली लगाने वाले द्वारा किए गए कार्यों का विवरण	:
3.	कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण	:
4.	करार संख्या और दिनांक	:
5.	करार की राशि (अनुमानित राशि भी स्वीकार्य है)	:
6.	लगाए गए दंडों का विवरण (राशि का उल्लेख करें), यदि कोई हो, जो कार्य-निष्पादन न करने या शर्तों का पालन न करने के कारण लगाए गए हों	:
7.	उस प्राधिकारी का विवरण, जिसके अधीन आपूर्ति की गई हो	
	नाम	:
	पदनाम	:
	पता	:
	टेलीफ़ोन नंबर (मोबाइल नंबर अनिवार्य है)	:
	ईमेल आईडी (अनिवार्य)	:
8.	केमिस्ट की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)	
	(a) तकनीकी दक्षता	:
	(b) वित्तीय सुदृढ़ता	:
	(c) समय-सीमा का पालन	:
	(d) कार्य की गुणवत्ता	:
	(e) सामान्य व्यवहार	:

अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम है।

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय की मुहर और दिनांक सहित

नाम एवं पदनाम:

मोबाइल नंबर

अनुलग्नक – VII

<u>निष्पादन बैंक गारंटी प्रारूप</u>

<u>(अपेक्षित वार्षिक खरीद के **5%** के लिए)</u>

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

चूंकि (सफल आपूर्तिकर्ता का नाम), जिसे इसके बाद "सफल आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा, ने वार्षिक अनुबंध संख्या ________________ दिनांक _________ 2026 के तहत _____________________ (सेवाओं का विवरण), जिसे इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा, का कार्यभार संभाला है; यह कार्यभार _________________ द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ______________ दिनांक ____________ के दस्तावेजों के अनुसरण में है।

और चूंकि, निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में से एक शर्त यह है कि सफल आपूर्तिकर्ता को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

और चूंकि, उक्त अनुबंध में आपके द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई है कि सफल आपूर्तिकर्ता, अनुबंध के अनुसार अपने निष्पादन दायित्वों के अनुपालन की प्रतिभूति के तौर पर, उसमें निर्दिष्ट राशि की एक बैंक गारंटी किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेगा।

और चूंकि, हम सफल आपूर्तिकर्ता के लिए गारंटी देने हेतु सहमत हो गए हैं।

इसलिए, हम इसके द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हम गारंटीकर्ता हैं और आपके प्रति अपेक्षित वार्षिक खरीद की कुल राशि के 5% तक, यानी `13,00,000/- (तेरह लाख रुपए मात्र) तक उत्तरदायी हैं; और हम आपसे यह वचन देते हैं कि आपकी पहली लिखित मांग पर, जिसमें सफल आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के तहत चूककर्ता घोषित किया गया हो, हम बिना किसी आपत्ति, विवाद या तर्क-वितर्क के, उपर्युक्त राशि के भीतर कोई भी राशि या राशियों का आपको भुगतान करेंगे; और इसके लिए आपको अपनी मांग के आधार या कारणों को, अथवा उसमें निर्दिष्ट राशि को, सिद्ध करने या दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

2. आपके कार्यालय से मिला कोई भी पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि सफल आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध के तहत और उसके अनुसार अपनी सभी या किसी भी ज़िम्मेदारी को ठीक से और ईमानदारी से निभाने में कोई चूक की है, हमारे लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। हम आगे इस बात से भी सहमत हैं कि इस बात का एकमात्र निर्णायक आप ही होंगे कि सफल

आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से और ईमानदारी से निभाने में कोई चूक की है या नहीं; और आपका यह निर्णय कि उसने चूक की है, हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा भले ही आपके और सफल सप्लायर के बीच कोई मतभेद हों, या आपके और उसके बीच कोई विवाद किसी मध्यस्थ, अदालत, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित हों।

3. इस गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए, आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे, मानो हम ही मुख्य ऋणी हों; और हमारे संगठन या सफल आपूर्तिकर्ता के संगठन में होने वाला कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार या ढंग से, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देनदारी या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आपको यह होगी कि इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर किसी भी तरह का असर डाले बिना, आप किसी भी समय अनुबंध की शर्तों और नियमों में बदलाव कर सकें, या उनका पालन करने के लिए समय या अवधि बढ़ा सकें, या अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग कुछ समय के लिए टाल सकें, या अनुबंध की किसी भी शर्त या नियम को लागू कर सकें या लागू करने से परहेज़ कर सकें; और इस तरह की स्वतंत्रता का आपके द्वारा इस्तेमाल करने से, या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज़, रियायत, काम या चूक से, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी या दायित्व से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी।

5. हम वचन देते हैं कि इस गारंटी की अवधि के दौरान हम इसे रद्द नहीं करेंगे।

6. इस दस्तावेज़ के तहत अनुरोध, मांग या किसी अन्य रूप में कोई भी सूचना, ऊपर बताई गई हमारी शाखा के पते पर डाक द्वारा भेजी जा सकती है। यह माना जाएगा कि उस शाखा को ऐसी सूचना प्राप्त करने और उसका भुगतान तुरंत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। यदि सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह उस समय दी गई थी जब उसे डाक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त हो जाना चाहिए था। डाक द्वारा भेजी गई ऐसी सूचना को साबित करने के लिए, केवल यह साबित करना पर्याप्त होगा कि सूचना वाला लिफाफा डाक में डाल दिया गया था; और आपके किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण-पत्र कि लिफाफा इस प्रकार डाक में डाल दिया गया था, निर्णायक माना जाएगा।

7. यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 18 महीनों की अवधि तक, या जब तक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार इसे आपके द्वारा मुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रभावी और लागू रहेगी।

(तारीख) को हस्ताक्षरित और मुहरबंद

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द

की ओर से और उनके नाम पर:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

वार्षिक अनुबंध फॉर्म

यह करार दिनांक ___________ 20__ को किया गया है।

____________________ (क्रेता का नाम और पता) जिसे आगे "क्रेता" कहा जाएगा, एक पक्ष के रूप में और

______________________ (आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) जिसे आगे "आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा, दूसरे पक्ष के रूप में:

चूंकि क्रेता रियायती मूल्य पर कुछ दवाइयां आदि खरीदना चाहता है और उसने उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की बोली स्वीकार कर ली है।
अब यह समझौता निम्नलिखित बातों की पुष्टि करता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो संदर्भित 'अनुबंध की शर्तों' में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
2. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा, और उन्हें इसी अनुबंध के एक भाग के रूप में ही पढ़ा और समझा जाएगा, अर्थात:
   - 2.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत, दिनांक _______ का निविदा दस्तावेज़।
   - 2.2 निविदा में उल्लिखित नियम और शर्तें ____
   - 2.3 क्रेता की अवार्ड अधिसूचना
3. क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतानों के बदले में, जैसा कि आगे बताया गया है, आपूर्तिकर्ता इसके द्वारा खरीददार से यह वादा करता है कि वह सामान और सेवाएँ उपलब्ध कराएगा और उनमें मौजूद कमियों को ठीक करेगा; यह सब अनुबंध के प्रावधानों के पूरी तरह अनुरूप होगा।
4. क्रेता एतद्वारा आपूर्तिकर्ता को यह भुगतान करने का वादा करता है: सामान और सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा उनमें मौजूद कमियों को ठीक करने के बदले में, वह अनुबंध की कीमत, या कोई अन्य राशि जो अनुबंध के प्रावधानों के तहत देय हो सकती है; यह भुगतान अनुबंध में निर्धारित समय और तरीके से किया जाएगा।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति/उपलब्ध कराए जाने वाले सामान और सेवाओं का विवरण, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में सूचीबद्ध है, यहाँ दिया गया है।

की ओर से और उनके लिए	की ओर से और उनके लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक	__________________
(क्रेता)	(आपूर्तिकर्ता)

अनुलग्नक – IX

औषधालयों की सूची

क्र. सं.	**औषधालय का नाम और पता**	**समय**
1	कार्यालय औषधालय, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ	पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
2	कॉलोनी औषधालय, आर्यावर्त स्टाफ क्वार्टर्स, अलीगंज, लखनऊ	पूर्वाह्न 07:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

नोट: औषधालय का स्थान और समय बैंक द्वारा अपने विवेक से, आवश्यकतानुसार, कभी भी बदला जा सकता है।

अनुलग्नक – X

गोपनीयता करार का प्रारूप

(केवल सफल बोलीदाता से ₹200 के स्टाम्प पेपर पर लिया जाएगा।)

गैर प्रकटीकरण करार

बोली लगाने वाला बैंक की कोई भी जानकारी, डेटा और/या कोई भी विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करते समय बोली लगाने वाले के पास या उसकी जानकारी में आ सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय उसे पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। बोली लगाने वाला अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जहाँ तक इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। बोली लगाने वाला बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना जानकारी का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, और न ही उसका खुलासा करेगा। बोली लगाने वाला किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को बोली लगाने वाले की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने तथा कानूनी उपचारों का सहारा लेने का हकदार होगा।

बोली लगाने वाला अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। जानकारी का खुलासा न करने और गोपनीयता के संबंध में बोली लगाने वाले के दायित्व, किसी भी कारण से इस समझौते की अवधि समाप्त होने या इसे समाप्त किए जाने के बाद भी बने रहेंगे।

<u>अनुलग्नक – XI</u>

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषणा का प्रारूप

(केवल सफल बोलीदाता के पत्र-शीर्ष पर लिया जाए)

i) आपूर्तिकर्ता, "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को उक्त अधिनियम के तहत गठित उचित समिति को भेजा जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, एजेंटों या आपूर्ति करने वालों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

ii) आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii) यदि घटना में आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी, एजेंट या आपूर्ति करने वाले शामिल हैं, तो किसी भी मौद्रिक मुआवज़े का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता ज़िम्मेदार होगा; उदाहरण के लिए, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत देना।

iv) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, एजेंटों या आपूर्ति करने वालों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

v) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, एजेंटों या आपूर्ति करने वालों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा, जिन्हें अनुबंध के उद्देश्यों के लिए बैंक परिसर के भीतर तैनात किया गया है।.

₹200 के स्टाम्प पेपर पर वाणिज्यिक बोली की घोषणा

(वित्तीय बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना है)

वित्तीय बोली की घोषणा

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने आरएफ़पी के दायरे को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और उसमें बताई गई शर्तों और नियमों को स्वीकार करते हैं। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमने जो अनुबंध दरें तय की हैं, वे काम के दायरे और पैकेज के विवरण पर आधारित हैं, और इनमें पॉलिसी के तहत होने वाले सभी खर्च शामिल हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जो भाव (कोटेशन) जमा किया गया है, वह सक्षम प्राधिकारी की ज़रूरी आंतरिक मंज़ूरी पर आधारित है, और हम बोली जमा करने और वित्तीय बोली खुलने के बाद भाव में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यह कोटेशन पूरी पॉलिसी/अनुबंध अवधि के लिए, यानी 01 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक, और अनुबंध की अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति में नवीनीकरण अवधियों के लिए भी मान्य रहेगा।

किसी भी तरह के विचलन या मतभेद की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

दिनांक

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

अनुलग्नक – XIII

बैंकर का शोधन-क्षमता प्रमाण पत्र

1. फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / प्रोप्राइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड हो)
2. फर्म के प्रोप्राइटर / साझेदारों / निदेशकों के नाम
3. फर्म का पता
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा:
5. लेन-देन:
6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
7. कोई अन्य टिप्पणी

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और सूचना के अनुसार, मेसर्स /श्री/श्रीमती ____________________________ (जिनका पता हाशिये पर अंकित है), जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति/संस्था हैं और उन्हें रु.________ (रुपए ____) की सीमा तक किसी भी प्रकार के लेन-देन या अनुबंध के लिए विश्वसनीय माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक अथवा उसके किसी भी अधिकारी की ओर से बिना किसी गारंटी या दायित्व के जारी किया गया है।

(अधिकृत अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर)
नाम:
पदनाम (कर्मचारी आईडी सहित):
दिनांक:
मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी:
बैंक की ओर से
नोट:

1. बैंकर्स के प्रमाण पत्र बैंक के पत्र-शीर्ष पर होने चाहिए, और उन्हें एक लिफाफे में सील करके लिस्टिंग अथॉरिटी के पते पर भेजा जाना चाहिए।
2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में उन सभी पार्टनर्स के नाम शामिल होने चाहिए जो बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

<u>अनुलग्नक – XIV</u>

<u>भाग II: वित्तीय बोली</u>

(केवल निविदा के भाग-II में जमा किया जाना है)

लखनऊ स्थित बैंक औषधालयों को दवाएँ और गैर-चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-निविदा

e-निविदा संख्या: RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/1/26-27/ET/162

अनुबंध की अवधि: 01 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
(क्षेत्रीय कार्यालय का नाम)

महोदय,

मैंने/हमने बैंक के एनआईटी और आरएफ़क्यू दस्तावेज़ (दिनांक __________) में उल्लिखित नियमों, शर्तों और अन्य विवरणों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालयों को, नीचे दी गई दर पर दवाएँ आपूर्ति करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं:

i. आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट की पेशकश की जाती है:

दवाओं की आपूर्ति	: (प्रतिशत के रूप में – अंकों में)
	: (प्रतिशत के रूप में – शब्दों में)

ii. मैं यह वचन देता हूँ कि मैं पैकिंग, ढुलाई और परिवहन के खर्चों को वहन करूँगा, और उपर्युक्त आपूर्तियों पर कानून के तहत आवश्यक या अपेक्षित सभी करों, वैट / बिक्री कर / लेवी / उपकर / चुंगी, आदि का भुगतान करूँगा। क्रेता (बैंक) केवल थोक मूल्य का भुगतान करेगा, जिसमें से ऊपर बताई गई छूट की राशि घटा दी जाएगी। मैं क्रेता (बैंक) से ऐसे कोई भी कर वसूल नहीं करूँगा।

iii. मैं यह भी वचन देता हूँ कि आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर थोक मूल्य पर दी जाने वाली, ऊपर बताई गई छूट की दर इस अनुबंध की पूरी अवधि तक वैध रहेगी।

iv. मैं यह भी वचन देता हूँ कि सभी दवाएँ इंडेंट / आपूर्ति आदेश के अनुसार ही प्रदान की जाएँगी, और किसी भी "वैकल्पिक दवा" की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर :

दिनांक :

मुहर : नाम :